आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 161/2020 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. मैसर्स इनफिंकी इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा डायरेक्टर श्री चन्द्र प्रकाश बन्सल पता–31–ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

2. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्रान्च मैनेजर ब्रान्च इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 536/2019 किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स इनफिंकी इण्डस्ट्रीज लि. में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 को रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमन कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 21.08.2019 को जारी धारा 13 (2) के नोटिस के आधार पर धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.01.2020 को आदेश पारित करवा लिया। धारा 13 (2) के नोटिस में कमला देवी के कानूनी वारीसान हरकचन्द को ही बताया गया है। जबकि कमला देवी के हरकचन्द बंसल पति, (2) महावीर प्रसाद बंसल पुत्र (3) कृष्ण कुमार बंसल पुत्र (4) प्रमोद कुमार बंसल पुत्र, (5) चन्द्र प्रकाश बंसल पुत्र एवं (6) सुनिता बंसल पुत्री विधिक वारीसान है। इनमें से केवल कमला देवी के पति हरकचन्द को ही 13(2) का नोटिस जारी किया गया है। अन्य वारीसान को नोटिस जारी नहीं किया गया है जबकि कानूनी रूप से मृतक के सभी विधिक वारीसान को धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसलिए बैंक द्वारा दिया गया 13(2) का नोटिस सही नहीं है। आर बी आई नोर्म्स के अनुसार 90 दिवस का ओवर ड्यू होने के पश्चात ही एन पी घोषित किया जा सकता है। इस मामले में बैंक द्वारा फैसलेटी फीस दिनांक 11.06.2019 को प्राप्त की है तथा 70 दिवस के पश्चात ही एन पी ए घोषित कर दिया गया। उपरोक्त फैक्टस एण्ड ग्राउण्ड्स के आधार पर अप्रार्थी बैंक ने तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय से दिनांक 28.01.2020 को आदेश प्राप्त कर लिया है, उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बैंक से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी बैंक की ओर से श्री रमन कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत कर कथन किया कि सरफेशी एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं ऋणी की मृत्यु के पश्चात

उसके वारिसों को डिमाण्ड नोटिस देना आवश्यक है तथा केवल डिमाण्ड नोटिस जारी की तिथि से 60 दिवस उपरान्त ही सिक्योर केडिटर का बैंक एक्ट की धारा 14 के तहत मान्य न्यायालय के समक्ष बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुलिस जाब्ता प्राप्ति के आदेश ले सकती है। जबकि अप्रार्थी बैंक द्वारा उक्त ऋणी स्व. श्रीमती कमला देवी के पति हरकचन्द के अलावा अन्य वारिसों को धारा 13(2) का नोटिस जारी नहीं किया गया और 90 दिवस के बजाय फैसलेटी फीस वसूल करने 70 दिवस पश्चात ही एन पी घोषित कर दिया गया है। अतः दिनांक 28.01.2020 को जारी किया गया आदेश अपास्त करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि बैंक द्वारा ऋणियों को विधिवत 13 (2) का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की निर्धारित समयावधि 60 दिवस में बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने से बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने बाबत धारा 14 के तहत दिनांक 16.12.2019 को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आदेश पारित किये गये है जो विधि सम्मत है। प्रार्थी ने कमला देवी के अन्य वारीसान होना बताया है, लेकिन उनकी तरफ से हरकचन्द के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की जा चुकी है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर श्रीमती कमला देवी के पति हरकचन्द ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो आधार बता कर पारित आदेश को निरस्त कराना चाहा है, उन पर मान्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके लिए प्रार्थी माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण में अपील कर सकता है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. बैंक द्वारा ऋण खाता एन पी ए हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण को दिनांक 21.08.2019 को धारा 13 (2) का नोटिस दिया गया है। धारा 13 (2) के नोटिस की तामील होने के बाद 60 दिवस मे भी ऋणियों द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी बैंक ने दिनांक 16.12.2019 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात ही धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। ऋणी श्रीमती कमला देवी की मृत्यु होने से उसके पति हरकचन्द को 13 (2) का नोटिस जारी किया गया है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के तथ्यों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दू को रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण को है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 17 में माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण के समक्ष अपील पेश किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अप्रार्थी बैंक अधिवक्ता के तर्को से हम सहमत है। इसलिए उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सरफेशी एक्ट में भी रिव्यू का कोई विधिक प्रावधान नही है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर